

निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट्रेक बड़ीसादड़ी

श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 111/2017

वादपत्र धारा 53, 88 आर.टी.एक्ट.

1- श्रीमती दुर्गा कुंवर पुत्री भैरुसिंह राजपूत नि. पालाखेड़ी तह0 बड़ीसादड़ी

2- श्रीमती कमला बाई पत्नी भैरुसिंह राजपूत नि. पालाखेड़ी तह0 बड़ीसादड़ी

- वादी

॥ बनाम ॥

1- भंवरसिंह पिता मांगुसिंह राजपूत नि. पालाखेड़ी तह0 बड़ीसादड़ी

2- तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है।

मौजा पालाखेड़ी की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है -

1- श्रीमती दुर्गा कुंवर पुत्री भैरुसिंह कमलाबाई पत्नी भैरुसिंह

आ.न.	रकबा	लगान
25 मी	0.38	9.75
1	0.38	9.75

2- निर्मला कुंवर पत्नी केसरसिंह 1/3 भंवरसिंह पिता मांगु 1/6

आ.न.	रकबा	लगान
25/1	0.38 CA	9.75
01	0.38	9.75

3- श्रीमती दुर्गा कुंवर पुत्री भैरुसिंह कमला बाई पत्नी भैरुसिंह 1/2 निर्मला कुंवर पत्नी केसरसिंह 1/3 भंवरसिंह पिता मांगु 1/6 सा. देह के संयुक्त रहेगा

आ.न.	रकबा	लगान
26 CA	0.01	-
01	0.01	-

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे। निर्णय आज दिनांक 13.6.2018 को लोक अदालत में सुनाया गया।

मोहर



जितेन्द्र कुमार पाण्डे
आर.ए.एस

सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी